क्रम-संख्या--612

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 9 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 18, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1631/सत्रह-वि---1--1--(क) 27-1986

लखनऊ : 9 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1986 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 मई, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल-अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1681 (2) /XVII-V—1-1 (KA) -27-1986

Dated Lucknow, September 9, 1986

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyawastha) Sanshodhan Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 8, 1986.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1986

(U. P. ACT NO. 16 OF 1986)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Thirty Seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 21, 1986.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "three years" the words "four years" shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1986, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 7 of 1986

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 83 सा0 (विधा0)—(1520)—1986—850 (मेक0)।